

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 333/2021

अनवान :

मानसिंह पुत्र शिवलाल जाति खाती निवासी मोजाणा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. शिवलाल पुत्र हरनन्द जाति खाती निवासी मोजाणा तहसील भादरा।
2. जयकरण पुत्र शिवलाल जाति खाती निवासी मोजाणा तहसील भादरा।
3. सतवीर पुत्र शिवलाल जाति खाती निवासी मोजाणा तहसील भादरा।
4. बलवान पुत्र शिवलाल जाति खाती निवासी मोजाणा तहसील भादरा।
5. रोशनी पुत्री शिवलाल जाति खाती निवासी मोजाणा तहसील भादरा।
6. मौमनी पुत्री शिवलाल जाति खाती निवासी मोजाणा तहसील भादरा।
7. उमेश पुत्र रेशमा पुत्री शिवलाल जाति खाती निवासी मोजाणा त० भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुन्शीराम की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मौजाना के खाता सं० 11/35 के खसरा सं० 42 की 3.554 है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी शिवलाल के नाम 4403/17770 हिस्सा बरानी खातेदारी दर्ज है तथा रोही मौजाना के ही खाता सं० 33/30 के खसरा सं० 114 की 6.057 है०, खसरा सं० 132 की 6.386 है० कुल खसरा 2 की 12.443 है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी शिवलाल के नाम 5967/12443 हिस्सा बरानी खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार रोही मौजा मौजाना के ही खाता सं० 14/29 के खसरा सं० 71 की 3.124 है०, खसरा सं० 73 की 0.468 है०, खसरा सं० 83 की 5.463 है०, खसरा सं० 84 की 1.922 है०, खसरा सं० 85 की 2.795 है० कुल खसरा 5 की 13.772 है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी शिवलाल के नाम 623/13772 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। चूकि प्रतिवादी सं० 1, 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं० 1 शिवलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी मानसिंह व प्रतिवादी सं० 2 जयकरण, प्रतिवादी सं० 3 सतवीर व प्रतिवादी सं० 4 बलवान को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़